HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2685/2026

Pramod Kumar Sharma S/o Shri C.b. Sharma, Aged About 55 Years, R/o D-343, Sarawanand Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302017.

---Accused-Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Ghanshyam Sharma S/o Late Shivram Sharma, R/o 3, Nandpuri, 22 Godam, Sodala, Jaipur

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. S S Hora, Adv. Mr. Sahajveer Baweja, Adv. Mr. Yaadvi Dhawan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Prasad, AG. with Mr. Rajesh Chaudhary, GA Cum AAG. & Mr. Sudesh Saini, PP Ms. Neha Goyal, Adv. Mr. Vinod Sharma, Adv. Mr. Rishabh Kala, Adv. Mr. Anirudh Singh, Adv. Mr. Lakhan Singh Khatana, CI, PS Mansarover, Jaipur. Mr. Madhav Mitra, Sr. Adv. Assisted by Mr. Girraj P Sharma, Adv. & Ms. Jaya Mitra, Adv. Ms. Sneha Gulati, Adv. Ms. Nikita Sharma, Adv. Ms. Shruti Chandgothia, Adv. Mr. Sidhartha Jain Mutha, Adv. Mr. Vivek Joshi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>01/05/2026</u>

1. याची–अभियुक्त की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत परिवादी–प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना मानसरोवर

जिला जयपुर शहर दक्षिण में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 586/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(4), 61(2), 329(3) बी.एन.एस. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में मूल रूप से विवाद पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति तथा नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति के मध्य है, दोनों के मध्य लंबे समय से संबंधित न्यायालयों में प्रकरण लंबित रहे हैं तथा कुछ प्रकरण निर्णीत भी हुए हैं, विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भूखण्ड अथवा उपरोक्त दोनों समितियों से याची/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची/अभियुक्त के पिता का नाम श्री बनवारी लाल शर्मा लिखा गया है, जबकि वास्तव में उसके पिता का नाम श्री सी.बी. शर्मा है। पुलिस इस मामले में पहले ही नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन पेश करने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन बिना किसी उचित आधार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक रूप से यू–टर्न लिया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने से ही स्पष्ट है कि किसी भी अपराध के कोई घटक–तत्व प्रकट नहीं हो रहे हैं, सिविल व दाण्डिक कार्यवाही समानांतर रूप से चलने योग्य नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट विशेष रूप से याची/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया के दुरूपयोग के अनुक्रम में दर्ज करवाई गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से भी है, अतः निरस्त होने योग्य है।

3. इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता तथा परिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि इस स्टेज पर अभियुक्त की दोषसिद्धी संभव है अथवा नहीं, यह विषय विचारणीय नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं, याची/अभियुक्त सहित अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत मौके पर परिवादी पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों की भूमि पर आकर निर्माण को

तोड़–फोड़ करते हुए आपराधिक अतिचार कर रेडीमेड दीवार से चारदीवारी खड़ी कर अनाधिकृत कब्जा किया है, अभियुक्तगण के कब्जे में कूटरचित दस्तावेज भी इस संपत्ति के संबंध में है, उनके व कथित छल के संबंध में भी अनुसंधान होना शेष है।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि किसी विशिष्ट अभियुक्त के विरूद्ध अथवा संपूर्ण अपराधों में से आंशिक रूप से किसी एक अपराध के लिए धारा 528 बी.एन.एस.एस. की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना विधिनुसार अनुज्ञेय नहीं है। याची/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक गिरोह के रूप में उपरोक्त अपराध कारित करने का आरोप है, जिसमें गहन अनुसंधान की आवश्यकता है।

5. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व में जो भी अनुसंधान हुआ था, उसके आधार पर मामला सिविल प्रकृति का मानते हुए नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ वरिष्ठ अधिकारियों के पास आया था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुनः कुछ बिंदुओं पर अनुसंधान किये जाने का निर्देश दिया गया, चूंकि नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ था, अतः ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी अपने विधिक अधिकारों के तहत निष्पक्ष अनुसंधान होना सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है। यह भी निवेदन किया कि अनुसंधान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी भी शेष है, इस स्टेज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त की जाना विधिनुसार अनुमत नहीं है। अंत में याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. सभी पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

7. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा द्वारा परिवादी के रूप में वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर यह आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 152 की भूमि रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा उनकी समिति द्वारा खरीद की गई थी, विधिनुसार कार्यवाही कर सदस्यों को मौके पर भूखण्ड आवंटित किये गये, जिनका कब्जा है। नवजीवन गृह निर्माण सहकारी

समिति द्वारा अनावश्यक विवाद किया, सिविल वाद भी प्रस्तुत किये गये, जिनमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। याची/अभियुक्त प्रमोद कुमार शर्मा व अन्य सात–आठ अभियुक्तगण को नामजद करते हुए यह आरोप लगाया है कि परिवादी के पक्ष में स्थगन आदेश होने के बावजूद उपरोक्त अभियुक्तगण ने मौके पर असामाजिक तत्वों के साथ आकर परिवादी समिति के सदस्यों को आवंटित व कब्जेशुदा भूमि पर हो रखे निर्माण को तोड़–फोड़ कर अभियुक्तगण ने अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक अतिक्रमण कर लिया तथा मौके पर रेडीमेड दीवार के माध्यम से चारदीवारी निर्मित कर अवैध कब्जा कर लिया। अभियुक्तगण को टोकने पर उनके द्वारा मौके पर गुंडागर्दी की गई तथा अपने पास कूटरचित दस्तावेज होना बताया।

8. यह बात सही है कि याची/अभियुक्त प्रमोद कुमार शर्मा के पिता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में बनवारी लाल शर्मा अंकित किया गया है, लेकिन अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हुआ कि उसके पिता का नाम सी.बी. शर्मा है तथा उसका पता कॉमन पाया गया और इस आधार पर भी उसे पूछताछ हेतु नोटिस जारी किया गया है। घटना माह सितंबर–अक्टूबर, 2024 की बताई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.07.2025 को दर्ज करवाई गई है, लेकिन मात्र विलम्ब के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपास्त किया जाना उचित नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Mariam Fasihuddin Vs. State (2024) 11 SCC 733 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के विशेष तथ्यों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 420, 468, 471 व 120B भा.दं.सं. के तत्व प्रकट नहीं हो रहे हैं। वर्तमान मामले में दस्तावेजों की कूटरचना व उनकी सद्भाविकता का प्रश्न अंतर्वलित है, जिनके संबंध में अनुसंधान होना शेष है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपराध घटित हुआ है अथवा नहीं, यह निष्कर्ष अभी नहीं

दिया जा सकता, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस प्रकार के अपराध के आरोप रहे हैं।

10. याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक निर्णय Mohammed Ibrahim Vs. State of Bihar (2009) 8 SCC 751 के मामले में यह अभिनिर्धारित हुआ है कि सिविल मामलों को आपराधिक रंग दिया जाना उचित नहीं है, लेकिन जहां किसी एक ही कृत्य से सिविल व आपराधिक दायित्व निर्मित होता है तो ऐसी विशिष्ठ परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही भी अनुज्ञेय है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पक्ष का यह बचाव रहा है कि उसका दोनों ही समिति के सदस्यों से अथवा उनके भूखण्ड से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका मौके पर जाकर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर भूखण्ड के कब्जेधारियों को अनुचित हानि पहुंचाने व अभित्रस्त करने के आशय के साथ उनके निर्माण को तोड़कर अवैध कब्जा करने का आरोप प्रथमदृष्टया धारा 329(3) बी.एन.एस. के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य को सिविल मामला नहीं माना जा सकता।

11. अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक निर्णय Mohd. Wajid Vs. State of Uttar Pradesh (2023) 20 SCC 219 तथा Issac Isanga Musumba Vs. State of Maharashtra (2014) 15 SCC 357 में प्रकरण विशेष के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोपों के आधार पर कोई आपराधिक तत्व प्रकट नहीं हो रहे थे और उन परिस्थितियों में धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त की गई थी।

12. विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त की ओर से न्यायिक निर्णय Govind Puri Vs. Laxmi Narayan 2013 SCC Online Raj. 3847 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त को उसके विरूद्ध ही दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि वर्तमान मामले में अभियुक्त को इस प्रकार के नोटिस जारी किये गये

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अभियुक्त नोटिस का विधिक सलाह के अनुसार प्रत्युत्तर दे सकता है, परंतु मात्र इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

13. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय Mahmood Ali & Ors. Vs. State of U.P. (2023) 15 SCC 488 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट बदला लेने अथवा अनुचित दबाव बनाने हेतु कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए दर्ज करवाई गई है, तो वहां आसपास की परिस्थितियां भी सुसंगत हो जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपत्ति संबंधी विवाद घटना का हेतुक भी हो सकता है और मिथ्या रूप से आलिप्त किये जाने का हथियार भी हो सकता है लेकिन यह सब बिंदु इस प्रारंभिक अवस्था पर निर्णीत होने योग्य नहीं है।

14. अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक निर्णय Hathi Singh and Ors. Vs. State of Rajasthan (1979) 4 SCC 340 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पक्षकारों के बीच रास्ते का विवाद था, और व्यवधान को समाप्त करने हेतु एकत्रित हुए हों, तो उस स्थिति में मारपीट होने पर व्यक्ति विशेष के कृत्यों के आधार पर उसका आपराधिक दायित्व तय होगा। वर्तमान मामले में अभियुक्त का विवादित भूमि से कोई संबंधित नहीं था लेकिन मौके पर उसकी उपरोक्त अपराध के लिए उपस्थिति बताई गई है।

15. परिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से याचिका का लिखित जवाब प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट होना बताकर याचिका का विरोध किया। न्यायिक निर्णय Somjeet Mallick Vs. State of Jharkhand & Ors. 2024 INSC 772 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को घटना का संपूर्ण वृत्तांत नहीं माना जा सकता, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर यदि संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान अपेक्षित हो जाता है। उपरोक्त निर्णय का पैरा संख्या–18 सुसंगत है, जो निम्नानुसार हैः–

"18. It is trite law that FIR is not an encyclopedia of all imputations. Therefore, to test whether an FIR discloses commission of a cognizable offence what is to be looked at is not any omission in the accusations but the gravamen of the accusations contained therein to find out whether, prima facie, some cognizable offence has been committed or not. At this stage, the Court is not required to ascertain as to which specific offence has been committed. It is only after investigation, at the time of framing charge, when materials collected during investigation are before the Court, the Court has to draw an opinion as to for commission of which offence the accused should be tried. Prior to that, if satisfied, the Court may even discharge the accused. Thus, when the FIR alleges a dishonest conduct on the part of the accused which, if supported by materials, would disclose commission of a cognizable offence, investigation should not be thwarted by quashing the FIR."

16. परिवादी पक्ष तथा विद्वान महाधिवक्ता द्वारा न्यायिक निर्णय Punit Beriwala Vs. The State of NCT of Delhi and Ors. 2025 INSC 582 का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी एक कृत्य के कारण से सिविल के साथ–साथ आपराधिक दायित्व सृजित होता है तो दोनों कार्यवाही समानांतर रूप से निरंतर रह सकती है। उपरोक्त आधार पर यह भी निवेदन किया गया कि ऐसे मामलों में प्रारंभिक अवस्था में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना उचित नहीं है, अपितु अनुसंधान अपेक्षित हो जाता है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Uttar Pradesh and Anrs. Vs. Akhil Sharda and Ors with Sanjeet Jaiswal Vs. State of Uttar Pradesh and Ors. 2022 SCC OnLine SC 820 के पैरा संख्या–07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

"7. Having gone through the impugned judgment and order passed by the High Court by which the High Court

has set aside the criminal proceedings in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C., it appears that the High Court has virtually conducted a mini trial, which as such is not permissible at this stage and while deciding the application under Section 482 Cr.P.C. As observed and held by this Court in a catena of decisions no mini trial can be conducted by the High Court in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C. jurisdiction and at the stage of deciding the application under Section 482 Cr.P.C., the High Court cannot get into appreciation of evidence of the particular case being considered."

18. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamaladevi Agarwal Vs. State of W.B. & Ors. (2002) 1 SCC 555 के पैरा संख्या–07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

"7. This Court has consistently held that the revisional or inherent powers of quashing the proceedings at the initial stage should be exercised sparingly and only where the allegations made in the complaint or the FIR, even if taken it at the face value and accepted in entirety, do not prima facie discolse the commission of an offence. Disputed and controversial facts cannot be made the basis for the exercise of the jurisdiction."

19. वर्तमान मामले में अभियुक्त का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक आशय से परिवादी समिति के सदस्यों के भूखण्ड पर हो रखे निर्माण कार्य को तोड़कर उसमें अवैध अतिक्रमण व कब्जा कर नया निर्माण करने, संघठित तरीके से अपराध कारित करने व बचाव के लिए कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार किये जाने आदि के आरोप प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि पुलिस द्वारा पूर्व में नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन पेश किये जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः ऐसी स्थिति में वरिष्ठ पुलिस

अधिकारी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान की समीक्षा करने हेतु स्वतंत्र है और उस अधिकारिता के तहत शेष बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप तथा अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव व अन्य सामग्री की सत्यता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में संक्षिप्त जांच अथवा संक्षिप्त विचारण अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरूपयोग करने हेतु दर्ज करायी गयी हो, ऐसा स्पष्ट मामला नहीं है तथा लगाये गये आरोप अपने आप में असंभाव्य हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभियुक्त द्वारा जो बचाव लिये गये हैं, वे विचारण के दौरान सुसंगत हो सकते हैं। अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव मात्र आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयत तरीके से व पूर्ण सावधानी के साथ अपेक्षित है। सामान्य रूप से जब तक सुदृढ आधार नहीं हों, अनुसंधान अथवा विचारण की प्रक्रिया को रोका जाना अथवा बाधित किया जाना उचित नहीं है।

21. उपरोक्त विवेचानानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग हस्तगत मामले में किया जाना उचित नहीं है।

22. परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है, स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्त प्रकार से अस्वीकार किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /128 (S)